रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 246] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1998/ कार्तिक 16, 1920
No. 246] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1998/KARTIKA 16, 1920

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1998

अधिसूचना

विषय :- झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले के संबंध में पी॰वी॰ नरसिम्हा राव बनाम सरकार (सी॰बी॰आई/एस॰पी॰ई॰) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के निहितार्थों की जांच करने के लिए अंत: मंत्रालय (सरकारी स्तर) समिति का समय बढ़ाने के संदर्भ में ।

-x-x-

का॰संख्या 8(2)/98-अनु॰और सम्मे॰ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले के संबंध में पी॰वी॰ नरसिम्हा राव बनाम सरकार (सी बी आई/ एस पी ई) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के निहितार्थों की जांच करने के लिए गठित अंत: मंत्रालय (सरकारी स्तर) समिति के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- I ,खण्ड -I , दिनांक 25 जून, 1998 में प्रकाशित इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जून, 1998 के पैराग्राफ 6 द्वारा यह नियत किया गया था कि समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगी ।

2. समिति की पहली बैठक 9 जुलाई, 1998 को हुई थी । अत: समिति को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिनांक 8 सितम्बर, 1998 को अथवा उससे पहले दे देना चाहिए था । ऐसा महसूस किया गया कि समिति को अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा अत: समिति का कार्यकाल 9 सितम्बर, 1998 से दो महीने और आगे बढ़ाने हेतु इस मंत्रालय द्वारा एक समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त, 1998 जारी की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग - I खण्ड - I में दिनांक 29 अगस्त, 1998 को प्रकाशित हुई थी । अत: समिति को दिनांक 8-11-1998 को अथवा इस से पूर्व अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना था ।

3. समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगाए जाने की संभावना है, अत: रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए समिति का कार्यकाल 9 नवम्बर, 1998 से 2 माह की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जाता है ।

देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 6th November, 1998

NOTIFICATION

Subject: Inter-Ministerial (Official Level) Committee to examine the implications of the Supreme Court Judgement delivered in the case of P.V. Narasimha Rao Vs. State (CBI/SPE) regarding JMM Bribery case -extension of time regarding.

No.F.8(2)/98-R&C -- Vide paragraph 6 of this Ministry's Notification of even number dated 25th June, 1998 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, dated the 25th June, 1998 regarding constitution of an Inter-Ministerial (Official Level) Committee to examine the implications of the Supreme Court Judgement delivered in the case of P.V. Narasimha Rao Vs. State (CBI/SPE) regarding JMM Bribery case, it was stipulated that the Committee will finalise its report within a period of 2 months from the date of its first meeting.

2. The first meeting of the Committee was held on 9th July, 1998. Therefore, the Committee was to finalise its report on or before 8th September, 1998. As it was felt that the Committee was likely to take some more time to finalise its report, the time for finalising the report of the Committee was extended by a further period of two months with effect from 9th September, 1998 vide this Ministry's Notification of even number dated 28th August, 1998 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I dated 29th August, 1998. Therefore, the Committee was to finalise its report on or before 8th November, 1998.

3. As the Committee is likely to take some more time to finalise its report, the time for finalising the report of the Committee is extended by a further period of two months with effect from 9th November, 1998.

D.R. TIWARI, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.